प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 4132/2025

श्रीमती. अंजनी बाई बैगा पति राम धीवर, आयु लगभग 36 वर्ष, पंच, ग्राम पंचायत, पेंडेरवा, पोस्ट–रानीगांव, जनपद पंचायत, बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

2 – छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, सचिव के द्वारा, भगत सिंह चौक के पास, शंकर नगर रोड, रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

3 – कलेक्टर, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

4 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत, पेंडरवा, पी. एस. रतनपुर, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

5 – अरुण कुमार खरे उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसुचित जाति मोर्चा, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं हेतु :श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी–राज्य हेतु :सुश्री नूपुर त्रिवेदी, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु : श्री जितेंद्र ध्रुव, अधिवक्ता ,श्री रवि कुमार भगत अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

05.08.2025

1. इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी आदेश/नोटिस दिनांक 04.07.2025 (अनुलग्नक पी/1) की वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया है।

2. याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत, पेंडरवा का सरपंच चुना गया था।याचिकाकर्ता का यह मामला है कि किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण, याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष परिवाद दर्ज कराई गई थी, याचिकाकर्ता को दिनांक 04.07.2025 का आक्षेपित नोटिस जारी किया गया है जिसमें 24.07.2025 को उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेत्रपाल ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी सं 2 द्वारा अनुलग्नक पी/1 के तहत जारी किया गया नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र और विधि के अधिकार के बिना है। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जाति जांच सरकार द्वारा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम आयुक्त, आदिवासी विकास (1994) 6 एससीसी 241 मामले में दिए गए निर्णय के बाद, कलेक्टर, बिलासपुर बनाम अजीत पी.के. जोगी एवं अन्य (2011) 10 एससीसी 357 मामले में अनुमोदन के साथ, इसके बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलराम बहिरा एवं अन्य (2017) 8 एससीसी 670 मामले में और अंत में मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप एवं अन्य (2010) 11 एससीसी 144 मामले में अनुमोदन के साथ, इसलिए, आक्षेपित नोटिस को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सुश्री नूपुर त्रिवेदी, विद्वान राज्य अधिवक्ता तथा श्री जितेंद्र ध्रुव, उत्तरवादी संख्या 2 के अधिवक्ता, विवादित नोटिस हेतु समर्थन करते है तथा प्रस्तुत करते है कि यह सख्ती से विधि के अनुसार है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके उपरोक्त प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. यह स्वीकार किया जाता है कि, याचिकाकर्ता सरपंच, ग्राम पंचायत, पेंडरवा के पद पर थी जब उसे नोटिस दिया गया था, जिसका उसने पहले जवाब दिया था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में उसके पक्ष में स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, लेकिन उत्तरवादी क्रमांक 2– आयोग ने दिनांक 04.07.2025 (अनुलग्नक पी / 1) के नोटिस द्वारा याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

7. इस स्तर पर, उत्तरवादी संख्या 2 आयोग के कार्य पर ध्यान देना उचित होगा, जो 1995 के अधिनियम की धारा 9 के तहत निम्नानुसार प्रदान किया गया है:---

"9. आयोग के कार्य।– (1) आयोग का कार्य होगा –

(क) संविधान और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए निगरानी आयोग के रूप में कार्य करना;

(ख) संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में विशिष्ट जनजातीय समुदायों या जनजातियों के भागों या समूहों या जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर उचित तथा समय पर नजर रखना तथा राज्य सरकार या ऐसे कार्यक्रमों हेतु जिम्मेदार किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के ऐसे कार्यक्रमों में सुधार का सुझाव देना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के संबंध में सलाह देना;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना।

(2) आयोग की सलाह सामान्यतः सरकार पर बाध्यकारी होगी, तथापि, यदि सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है तो वह इसके लिए कारण दर्ज करेगी।"

8. अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा (1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होगा कि आयोग का कार्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, विशेष रूप से संविधान या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत उन्हें प्रदत्त संरक्षण की रक्षा करना, तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कार्यक्रमों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और साथ ही सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना है।अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार, आयोग की सलाह सरकार पर बाध्यकारी है और आयोग का कार्य सामान्यतःसलाहकारी/अनुशंसात्मक प्रकृति का होता है।अधिनियम, 1995 की योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग को न्यायिक कार्य, सलाहकारी/अनुशंसात्मक क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया है।यह केवल एक निकाय है जिसका सलाहकार क्षेत्राधिकार है।

9. भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य महिला आयोग और अन्य 5 (2010) 8 एससीसी 633 के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत गठित राज्य महिला आयोग की शक्ति की सीमा पर विचार किया और अधिनियम की योजना का

विश्लेषण करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य आयोग को पक्षों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन या निर्धारण करने के लिए कोई शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।इसे संक्षेप में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था :---

10. दूसरे शब्दों में, राज्य आयोग को मोटे तौर पर आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया है जो राज्य की महिलाओं के समग्र विकास में मदद कर सकते हैं; महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना:महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित शिकायतों की जांच करना, महिलाओं को उनके बुनियादी स्वास्थ्य, मातृत्व अधिकार आदि से वंचित करने की जांच करना और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में तथ्यों की पुष्टि होने पर उपचारात्मक उपायों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को उठाना; संकटग्रस्त महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रवर्तन में एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में मदद करना।हालांकि, राज्य आयोग को पक्षों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन या निर्धारण करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं दिया गया है।

11. उत्तरवादी 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि एक बार राज्य आयोग को महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित मामले सहित शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति दे दी गई है, तो यह निहित है कि राज्य आयोग इन शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।हमें भय है कि ऐसी किसी भी निहित शक्ति को धारा 10 (1) (डी) में नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है।धारा 10(1)(घ) में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि राज्य आयोग उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में शिकायतें प्राप्त कर सकता है और ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर उचित उपचारात्मक उपायों के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष मामले को उठा सकता है।1993 के अधिनियम ने राज्य आयोग को एक न्यायालय या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने और पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की है।राज्य आयोग न्यायिक प्रकृति के कार्यों का निर्वहन करने वाला कोई न्यायाधिकरण या न्यायालय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमारे लिए यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने राज्य आयोग को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं दिया है जैसा कि दिया गया है।राज्य आयोग द्वारा दिनांक 11-5-2009 के आदेश में दिए गए निर्देशों की वैधता की हम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से जाँच करें, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र, शक्ति या क्षमता से बाहर था।यह एक ऐसा आदेश था जिसे देने का राज्य आयोग के पास कोई अधिकार नहीं था और इसलिए यह एक अमान्य आदेश है।उच्च न्यायालय ने उस आदेश तथा सही करने के बजाय एक कदम आगे बढ़कर निर्देश दिया कि बच्चे के साथ-साथ अपीलार्थी का डी. एन. ए. परीक्षण किया जाए।

10. इसी तरह, कलेक्टर, बिलासपुर बनाम अजीत पी.के. जोगी एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6(2011) 10 एससीसी 357 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(5) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के कर्तव्य पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि

आयोग किसी व्यक्ति विशेष की जाति या जनजाति की स्थिति का निर्धारण/निर्णय नहीं कर सकता है। रिपोर्ट का सुसंगत अंश इस प्रकार है:– "17.अनुच्छेद 338 के मूल स्वरूप से यह स्पष्ट है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित गठित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी सुरक्षा करता था:(i) भेदभाव–विरोधी, (ii) आरक्षण और सशक्तिकरण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई, और (iii) शिकायतों का निवारण।अनुच्छेद 338 के खंड 5(ख) के अंतर्गत कर्तव्यों का विस्तार जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने, जाति/जनजाति प्रमाण पत्र को रद्द करने या जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर निर्णय लेने तक नहीं था।अनुच्छेद 338 के खंड (5) के उपखंड (ख) को ध्यान में रखते हुए, आयोग निःसंदेह अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के बारे में किसी विशिष्ट शिकायत पर विचार कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है।एक परिवाद आयोग ऐसी परिवाद की जांच कर सकता है तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दे सकता है जिसमें अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण तथा कल्याण तथा सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सुरक्षा उपायों तथा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने की जांच करने की इस शक्ति में जाति/जनजाति की स्थिति के बारे में पूछताछ करने और किसी भी तथ्य पर निर्णय लेने की शक्ति शामिल नहीं थी, क्योंकि यह व्यक्तिगत था। जाति/जनजाति के प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए प्रभावी तंत्र माधुरी पाटिल व्यक्तियों बनाम आयुक्त में न्यायालय ने 'जनजाति विकास' मामले में जांच समितियों के गठन का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. यह तर्क कि इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, सुसंगत नहीं है।आयोग के कर्तव्यों के दायरे में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, पक्षकारों के अधिकारों या पक्षकारों की जाति स्थिति के संबंध में जांच या निर्णय शामिल नहीं था।

8.अनुसूचित जनजातियों के लिए समान कर्तव्यों वाले एक पृथक आयोग का प्रावधान करने वाले (जिसे बाद में सम्मिलित किया गया) अधिनियम के अंतर्गत भी यही स्थिति है।इसलिए आयोग का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16–10–2001 के उक्त आदेश को अपास्त करना उचित था।

11. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, यह स्पष्ट है कि 1995 के अधिनियम के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य परामर्शदात्री प्रकृति का है।अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में जाँच और न्यायनिर्णयन करने की शक्ति और अधिकारिता, 1995 के अधिनियम द्वारा राज्य आयोग को प्रदान नहीं की गई है।इसलिए, 1995 के अधिनियम के तहत गठित आयोग के पास कोई न्यायिक अधिकार क्षेत्र नहीं है तथा ऐसा राज्य आयोग न्यायिक चरित्र या दीवानी न्यायालय के कार्यों का प्रयोग करने वाला न्यायाधिकरण नहीं है तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकता है।राज्य आयोग अधिनियम की धारा 9(1) द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के आधार पर पर्यवेक्षण कर सकता है और देख सकता है कि भारत के संविधान के तहत या उस समय लागू किसी अन्य विधि के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दी गई सुरक्षा वास्तव

में उन तक विस्तारित है और उनके लिए कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन और निष्पादन हो रहा है और संविधान (एसटी) आदेश 1950 में कुछ जनजातियों/जनजातियों के समूह को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना और सार्वजनिक सेवा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आगे की सलाह देना, केवल राज्य सरकार को सिफारिश करने के साथ-साथ राज्य सरकार को सलाह देने के लिए सक्षम निकाय होने के नाते न्यायिक कार्य नहीं कर सकता है।

12. इस स्तर पर, अखिल भारतीय इंडियन ओवरसीज बैंक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1996) 6 एससीसी 606 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बैंक को आगे की जांच और अंतिम निर्णय तक पदोन्नति प्रक्रिया रोकने के निर्देश की आलोचना की गई है।आयोग के फैसले के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने मामले पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि आयोग को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई है, जो कि सिविल न्यायालय में निहित शक्ति है, इसलिए उसे इस प्रकार का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम लाल चंद एवं अन्य के मामले में डब्ल्यूपी(सी) संख्या 5468/2011 में 17.09.2013 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (5) के उपखंड (ए) पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है और वह केवल उन परिवाद पर विचार करता है, जो किसी विशिष्ट घटना से संबंधित हों और जो किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए प्रदत्त अधिकारों और प्रदत्त सुरक्षा उपायों से वंचित करती हों। कंडिका 10 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"10.मेरे विचार में, धारा (5) के उप-खण्ड (ख) के अनुसार भी आयोग द्वारा जांच केवल तभी शुरू की जा सकती है, जब परिवाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के वर्ग के रूप में उसके लिए प्रदत्त अधिकारों और प्रदत्त सुरक्षा उपायों से वंचित करने की विशिष्ट घटना से संबंधित हो।यह केवल अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति के किसी भी नागरिक अधिकार से वंचित होना तथा वंचित करना है जो इस तरह की जांच का विषय हो सकता है।यह विचार रखते हुए कि आयोग अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी विशिष्ट परिवाद की जांच कर सकता है, शिकायत की प्रकृति की परवाह किए बिना, "अनुसूचित जातियों के अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में" शब्दों को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा जो निश्चित रूप से विधायी आशय नहीं हो सकता था।यदि विधानमंडल का इरादा आयोग को अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी शिकायत की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का कर्तव्य सौंपना होता, तो उपखंड (बी) के शब्द पूरी तरह से अलग होते है।उस मामले में विधानमंडल ने बिना किसी योग्यता के कहा होगा कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई विशिष्ट परिवाद की जांच करना आयोग का कर्तव्य होगा। अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को ही अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनके लिए सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं, सार्वजनिक नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण ऐसे ही उदाहरण हैं।

कुछ अन्य उदाहरण लें तो, यदि राज्य की कोई कल्याणकारी योजना या राज्य का कोई साधन केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों के लाभ के लिए है, तो उक्त योजना के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाने वाले परिवाद की निश्चित रूप से आयोग द्वारा जांच की जा सकती है।इसके अलावा, राज्य के कुछ निकायों द्वारा विभिन्न प्रकार के आवंटनों में आरक्षण किया जाता है, जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों/फ्लैटों का आवंटन, तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों/एलपीजी आउटलेटों का आवंटन।ऐसे मामलों से संबंधित विशिष्ट परिवाद भी आयोग के ध्यान में लाई जा सकती हैं और आयोग द्वारा उनकी जाँच की जा सकती है। एक और उदाहरण लेते हैं, यदि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाता है, तो वह इस संबंध में आयोग में परिवाद कर सकता है क्योंकि प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रदत्त अधिकारों का लाभ उठाने के लिए मांगे जाते हैं।यदि राज्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाता है, तो ऐसे लाभ से इनकार करने का आरोप लगाने वाली कोई भी परिवाद भी आयोग के ध्यान में लाई जा सकती है और आयोग द्वारा उसकी जाँच की जा सकती है।लेकिन आक्षेपित **विवाद्यक जैसे कि संपत्ति पर स्वामित्व का दावा, जो अपनी प्रकृति से, एक न्यायिक निकाय द्वारा निर्णय लेने में शामिल है, उप–खंड (बी) के संदर्भ में जांच का विषय नहीं हो सकता है यदि परिवादी अनुसूचित जाति से संबंधित है।संपत्ति का दावा हर नागरिक द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह अनुसूचित जाति से संबंधित हो या नहीं और राज्य या उसके किसी साधन द्वारा संपत्ति से वंचित करने का आरोप निश्चित रूप से केवल अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में मामला नहीं होगा..."**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।माधुरी पाटिल (सुप्रा) मामले में, अजीत पी.के. जोगी (सुप्रा) मामले में तथा एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जाति जांच समिति या राज्य सरकार द्वारा घोषित विधि के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।इस प्रकार, उत्तरवादी क्रमांक 2 आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसके जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग करते हुए जारी किया गया दिनांक 04.07.2025 (अनुलग्नक पी/1) का नोटिस, जो गठित बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, पूर्णतः अधिकार क्षेत्र और विधि के प्राधिकार के बिना है और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

15. तदनुसार, इस रिट याचिका को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।इस पर कोई वाद व्यय देय आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur